

न्यायालय सभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या:- 35/17 (RCMS No. 2017/00041) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. बाबूलाल पुत्र लालचन्द जाति माली निवासी भूडा दरवाजा डीग तहसील डीग
2. लीलावती पुत्री स्व० श्री लालचन्द पत्नि अमरसिंह जाति माली निवासी भूडा दरवाजा डीग हाल निवासी ग्राम पालई ब्राहमण जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश)

.....अपीलान्त

बनाम

1. प्यारे लाल पुत्र स्व० श्री भोजा उर्फ भोजी जाति माली निवासी भूडा दरवाजा कस्वा डीग तहसील डीग
2. तहसीलदार तहसील डीग
3. मानो पुत्री स्व० भोजा उर्फ भोजी जाति माली निवासी भूडा दरवाजा कस्वा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर
4. चन्द्रशेखर | पिसरान स्व० बंसू पौत्र लालचन्द जाति माली नावालिगान जरिये
5. अंकित | संरक्षक शारदा वेवा बंसू हाल पत्नि सियाराम जाति माली निवासी ग्राम पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
6. शारदा वेवा बंसू हाल पत्नि सियाराम जाति माली निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर

..... रैस्प०

अपील विरुद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग दिनांक 06.02.2017 एवं नामा० सं० 97 निर्णय दिनांक 18.07.92 वॉके रामबाग तहसीलदार डीग

उपस्थिति:-

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील अपीलान्त
2. श्री अनिल कुमार गुप्ता वकील रैस्प०

निर्णय

दिनांक:-27.06.2018

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के निर्णय दिनांक 06.02.2017 एवं तहसीलदार डीग के आदेश नामा० संख्या 97 दिनांक 18.07.92 वॉके ग्राम रामबाग के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी ख० नं० 522 रकवा 0.23 है० 523 रकवा 0.14 है० 524 रकवा 0.61 है०, 529 रकवा 0.43 है०, 530 रकवा 0.21 है०, 531 रकवा 0.01 है०, 532 रकवा 0.17 है०, 533 रकवा 0.53 है०, 534

रकवा 0.55 है0, 535 रकवा 0.23 है0 कुल किता 10 रकवा 3.11 हैक्टियर वॉके ग्राम रामबाग तहसील डीग के 1/2 हिस्से का भौजी पुत्र रोदल कौम माली सा0 देह खातेदार था। उसकी मृत्यु के बाद विरासतन नामान्तरकरण संख्या 97 वॉके रामबाग तहसीलदार डीग ने दिनांक 03.06.92 को घीसा व प्यारे लाल पुत्रान भौजी व सोना वेवा भौजी कौम माली सा0 देह बहिस्सा बराबर 1/2 तस्दीक किया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के न्यायालय में इस आश्य की अपील पेश की थी कि मृतक भोजा उर्फ भोजी ने अपनी मृत्युपरान्त वारिसान के रूप में अपनी पत्नि सोना व दो पुत्र घीसा व प्यारेलाल व दो पुत्रियाँ मानो व शान्ती को जीवित अवस्था में छोडा था। परन्तु रैस्पो0 संख्या 1 प्यारे लाल ने अपनी बहिनोँ शान्ती अपीलान्ट की माँ व रैस्पो0 मानो को छोड़कर अपने व अपने भाई घीसा व मां सोना के नाम विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करा लिया जबकि भोजा के समस्त वारिसान का भोजा की मृत्यु के बाद विवादित आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। विवादित नामा0 की जानकारी रैस्पो0 प्यारे लाल के धमकी देने पर दिनांक 02.12.14 को हुई। अपीलान्ट की मां शान्ती व मानो अनपढ थी उन्होँ कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी नही थी। सोना फौत हो चुकी है। घीसा लाबल्द विला औरत फौत हो चुका है। अपीलान्ट के भाई बंसी भी फौत हो चुका है। बंसू की मृत्यु के उपरान्त उसकी पत्नि शरदा ने सियाराम निवासी पहरसर से शादी कर ली है इसलिये भोजा की छोड़ी हुई आराजी में कानूनन उसका कोई हक नही रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामा0 निरस्त किया जावे तथा कानूनन हिस्सानुसार आराजी समस्त वासिान के नाम दर्ज की जावे। रैस्पो0 ने कथन किया कि रैस्पो0 4 लगायत 6 का भोजा की आराजी से कोई संबंध नही है। भोजा की मृत्यु दिनांक 17.05.90 को हुई थी। भोजा ने अपने जीवन काल में ही अपीलान्ट बाबूलाल के पक्ष में अपनी खातेदारी की आराजी में से अपीलान्ट की मां शान्ती की सहमति से पृथक-प्रथक वयनामा कराकर 4 बीघा आराजी उनके हिस्से के तौर पर दे दी थीं जो अपीलान्ट के नाम दर्ज है। इसीलिये अपीलान्ट की मां ने अपने जीवनकाल में कोई अपील पेश नही की। अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीग में हुऐ बयानों में यह माना है कि उन्होँ शान्ती के हिस्से की आराजी जरिये बयनामा दे दी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का कोई हक नही रहा है। अतः अपील खारिज की जावे। रैस्पो0 4 लगायत 6 बंसू के वारिसान ने कथन किया कि उनके नाना भोजा ने जो वयनामा बाबूलाल के पक्ष में दिनांक 01.05.85 एवं 16.05.85 को कराये थे, वे मां शान्ती के हिस्से की आराजी है जिस पर हमारा हक है अपीलान्ट ने यह अपील गलत पेश की है। अतः अपील खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षकारों को सुनकर यह माना कि अपील मियाद बाहर पेश की है तथा मृतक भोजा ने अपने जीवन काल में बाबूलाल के पक्ष में माता शांति के हिस्से की आराजी को दे दिया है। शांती ने 2005 के पश्चात भी सन् 2008 तक कोई हिस्से की मांग अपने पिता की आराजी में नही की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रकाश बनाम फूलवती 2016 (1) आरआरटी 29 के अनुसार भी अपीलान्ट मृतक भोजा की आराजी में कोई अधिकार नही रखते है। अतः अपील खारिज कर दी। इस निर्णय के विरुद्ध यह अपील पेश की है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि मृतक भोजा के वारिसान में उसकी पत्नि सोना, पुत्र घीसा व प्यारे लाल व पुत्रियां शान्ती व मानो थी। जिनमें से पत्नि सोना दिनांक 30.08.2003 को फौत हो चुकी है। भोजा का पुत्र घीसा लाबल्द बिला औरत 20.04.2001 को फौत हो चुका है। एक लड़की शान्ती पुत्री भोजा पत्नि लालचन्द दिनांक 30.11.08 को फौत हो चुकी है। शान्ती के बाबू

लाल पुत्र, लीला पुत्री व बंसू पुत्र थे जिनमें से बंसू फौत हो चुका है जिसके अंकित व चन्द्रशेखर पुत्र हैं। अपीलान्त शान्ती के पुत्र व पुत्री हैं। शान्ती पुत्री भोजा उर्फ भेजी की मृत्यु भोजा के बाद हुई है। भोजा की मृत्यु दिनांक 03.06.92 को हुई थी और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार वह प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण मृतक भोजा की आराजी में प्रत्येक 1/5 हिस्से की शान्ती, सोना, घीसा, प्यारे लाल व मानो के साथ हिस्सेदार हुए। शान्ती की मृत्यु दिनांक 30.11.08 के बाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसके हिस्से पर बाबू लाल पुत्र व लीलावती पुत्री अपीलान्तान 2/9 हिस्से के व बंसू पुत्र के वारिसान प्रत्येक 1/9 हिस्से के हिस्सेदार हुए। बंसू दिनांक 30.12.06 को फौत हो गया जिसके वारिसान चन्द्रशेखर व अंकित हैं। बंसू की पत्नि शारदा ने शादी कर, सियाराम निवासी पहरसर तहसील नदबई के यहां खानन्दाज हो गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मियाद बाहर गलत माना है। क्योंकि नामा0 सं0 97 दिनांक 18.07.92 को पारित किया है, वह विधि विरुद्ध था। अपीलान्त की माता शान्ती को सुने बिना पारित किया गया था। इसलिये अपील को दिनांक 29.12.14 को पेश करने के रोज से ही अन्दर मियाद मानना चाहिये था। अपील ने प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र दिया था इसलिये अपील को अन्दर मियाद मानना चाहिये था। अपने पक्ष के समर्थन में 2002 आरआरटी 269, 2012 आरआरटी 137, 2002 आरआरटी 648 पेश की। उनका तर्क है कि भोजा ने अपने जीवन काल में अपीलान्त बाबूलाल से प्रतिफल लेकर वयनामा दिनांक 01.05.85 एव 16.05.85 कराया था। क्योंकि प्यारे लाल रैस्प0 शुरू से ही बोलने में असमर्थ था, यानी गूंगा था। भोजा की मृत्यु के बाद जो शेष आराजी रही है, उसी में ही भोजा के वारिसान को उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने शान्ती को कोपार्सनरी के हिसाब से दिनांक 09.09.05 के प्रावधान को गलत लागू माना है जबकि अपीलान्त की माँ शान्ती भोजा की मृत्यु व सोना व घीसा की मृत्यु के उपरान्त ही विवादित आराजी में 1/3 हिस्से के अधिकार रखती है। शान्ती विवादित आराजी में 1/3 हिस्से की घीसा व सोना के मरने के बाद खातेदार हुई। शान्तीदेवी की मृत्यु दिनांक 30.11.08 को होने पर बाबू लाल लीलावती व बंसू पुत्र विरासत से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। बंसू का दिनांक 30.12.06 को देहान्त होने के कारण उसके हिस्से पर चन्द्रशेखर व अंकित मालिक होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत है। अतः अपील स्वीकार कर हर दो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त किये जावें। अपीलान्त को विवादित आराजी में 2/9 हिस्से का खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान वकील रैस्प0 का तर्क है कि भोजा की मृत्यु दिनांक 17.05.90 को हो गयी थी। मृतक भोजा ने अपने जीवन काल में अपीलान्त बाबूलाल के पक्ष में अपनी खातेदारी की आराजी में अपीलान्त की माँ शान्ती की सहमति से दो प्रथम प्रथक वयनामा दिनांक 01.05.85 एवं 16.05.85 को कराकर लगभग 4 बीघा भूमि उनके हिस्से के तौर पर दे दी थी। वयनामा के आधार नामा0 दर्ज होकर, राजस्व रिकार्ड में बाबूलाल के नाम दर्ज हो गया इसलिये अपीलान्त की माँ शान्ती ने अपने जीवनकाल में उक्त नामा0 के विरुद्ध कोई अपील पेश नहीं की है। अपीलान्त की माँ की मृत्यु दिनांक 30.11.08 को हो चुकी है। इसलिये अपीलान्त को अपील पेश करने का अधिकार ही नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में नामा0 सं0 97 दिनांक 18.07.92 के विरुद्ध 22 वर्ष बाद अपील पेश की थी जो मियाद बाहर थी। अपीलान्त को प्रत्येक दिन की डिले का कारण बताना चाहिये था। अपीलान्त ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया है जिससे की उस पर कोई विचार कर मियाद को कण्डोन किया जा सके। रैस्प0 ने 2017(1) आरआरटी117 राजस्थान

उच्च न्यायालय पेश कर कथन किया कि मुवक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती-उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता अन्यथा यह मियाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा। विलम्ब स्पष्ट करने का पर्याप्त कारण नहीं है। इसलिये अपील को मियाद बाहर माना गया है जो सही है। अपीलान्ट को पूर्व से ही उक्त नामान्तरकरण की जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मियाद बाहर मानने में कोई त्रुटि नहीं की है। उनका यह तर्क है कि अपीलान्ट का कोई हक विवादित आराजी में बनता है तो नियमित दावे से तय करा सकते हैं। उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीग में हुए बयानों में यह माना है कि उन्हें शान्ती के हिस्से की आराजी जरिये बयानामा दे दी है। जब अपीलान्ट स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं तो अपील करने का कोई मतलब ही नहीं है। अपीलान्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग में लम्बित वाद प्यारे लाल बनाम राजाराम में पक्षकार भी बन चुके हैं। अपीलान्ट को उक्त न्यायालय में प्रकरण कन्टेस्ट करना चाहिये। उनका यह भी तर्क है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 यथा संशोधित अधिनियम 2005 में संशोधन भविष्यलक्षी है न कि भूतलक्षी। अपने पक्ष के समर्थन में 2013(1) आरआरटी 29 (सुप्रीम कोर्ट) पेश की। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें हक हकूकों को तय नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी भौजी पुत्र रोदल की मृत्यु के बाद विरासतन नामान्तरकरण संख्या 97 वॉके रामबाग तहसीलदार डीग ने समस्या समाधान कैम्प डीग में दिनांक 18.07.92 को घीसा व प्यारे लाल पुत्रान भौजी व सोना वेवा भौजी कौम माली सा० देह बहिस्सा बराबर 1/2 तस्दीक किया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के न्यायालय में 22 वर्ष बाद अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षकारों को सुनकर यह माना कि अपील मियाद बाहर पेश की है तथा मृतक भोजा ने अपने जीवन काल में बाबूलाल के पक्ष में माता शान्ती के हिस्से की आराजी को दे दिया है। शान्ती ने सन् 2005 के पश्चात भी सन् 2008 तक कोई हिस्से की मांग अपने पिता की आराजी में नहीं की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रकाश बनाम फूलवती 2016 (1) आरआरटी 29 के अनुसार भी अपीलान्ट मृतक भोजा की आराजी में कोई अधिकार नहीं रखते हैं। अतः अपील खारिज कर दी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि भोजा की मृत्यु दिनांक 17.05.90 को हो गयी थी। मृतक भोजा ने अपने जीवन काल में अपीलान्ट बाबूलाल के पक्ष में अपनी खातेदारी की आराजी में अपीलान्ट की मां शान्ती की सहमति से दो प्रथम प्रथक वयनामा दिनांक 01.05.85 एवं 16.05.85 को कराकर लगभग 4 बीघा भूमि उनके हिस्से के तौर पर दे दी थी। वयनामा के आधार नामा० दर्ज होकर, राजस्व रिकार्ड में बाबूलाल के नाम दर्ज हो गया। भोजा की मृत्यु दिनांक 17.05.1990 को होने से उसका विरासत नामा० घीसा व प्यारे लाल पिसरान भोजी व सोना वेवा भोजी के नाम दर्ज हो गया। चूंकि शान्ती के पुत्र बाबू लाल को उसके हिस्से की आराजी जरिये वयनामा दे दी गई थी। इसीलिये अपीलान्ट की माँ शान्ती ने अपने जीवनकाल में उक्त नामा० के विरुद्ध कोई अपील पेश नहीं की थी। अपीलान्ट की माँ की मृत्यु दिनांक 30.11.08 को हो चुकी है। इसलिये अपीलान्ट को अपील पेश करने का अधिकार ही नहीं है। अपीलान्ट ने विवादित नामा० सं० 97 दिनांक 18.07.92 के विरुद्ध 22 वर्ष बाद अपील पेश की थी जो मियाद बाहर थी। अपीलान्ट

को अपीलधीन नामा० की जानकारी थी। अपीलान्ट ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया है जिससे की उस पर कोई विचार कर मियाद को कण्डोन किया जा सके। हम रैस्प० द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त 2017(1) आरआरटी 117 राजस्थान उच्च न्यायालय से पूर्णतया सहमत हैं। जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मुवक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती-उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता अन्यथा यह मियाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मियाद बाहर मानने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अपीलान्ट का यह तर्क भी उचित नहीं है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 संशोधित अधिनियम 2005 का प्रभाव भूतलक्षी होगा। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2013(1) आरआरटी 29 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि संशोधन भविष्यलक्षी है न कि भूतलक्षी। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का कथन उचित नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीग के यहाँ प्रकरण सरकार बनाम प्यारे लाल वगैरहा में बाबूलाल के बयानों का अवलोकन किया। बाबूलाल ने अपने बयानों में यह माना है कि "उन्हें शान्ती के हिस्से की आराजी जरिये बयानामा दे दी है।" जब अपीलान्ट स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं तो अपील करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके अलावा इसी प्रकरण में अपीलान्ट बाबू लाल की पत्नि जयदेई ने भी बयान दर्ज कराये हैं जिनकी फोटोप्रति पत्रावली में है, जिसमें जयदेई ने अपने बयानों में दर्ज कराया है कि "प्यारे लाल मेरे पति बाबूलाल का मामा लगता है। यह कहना सही है कि भोजा ने चार बीघा जमीन मेरे पति को उसके हिस्से के तौर पर दे दी थी।" इससे स्पष्ट है कि शान्ती के जीवन काल में ही भोजा ने उसके हिस्से की आराजी जरिये वयनामा दे दी थी। जिसको अपीलान्ट ने अपने बयानों में स्वीकार किया है। नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही में उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलते हैं। अपीलान्ट का कोई हक विवादित आराजी में बनता है तो नियमित दावे से तय करा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.02.2017 एवं तहसीलदार डीग के नामा० सं० 232 वॉके कस्वा डीग द्वितीय आदेश दिनांक 03.06.1992 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official